फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नोखा

कमा पत्नी मघाराम जाति जाट निवासी पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर

बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोखा

किस्म मुकदमा राजस्व दावा संख्या/41 /2019 U/S 88 RTA & 136 RLRA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
12.12.2019	यह दावा वादीनी की ओर से अधिवक्ता श्री मेघाराम गोदारा ने पेश किया। जो तहसीलदार नोखा से रिपोर्ट होकर प्राप्त हुआ। दावा दर्ज रजिस्टर हो। वकील वादी ने निवेदन किया कि मेरे सभी दस्तावेजात में मेरा नाम कमा पुत्र रामूराम अंकित है जबकि वाके रोही पांचू उत्तरी की संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 7938/45 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7940/45 रकबा 1.68 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7948/2619 रकबा 2.33 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 4.25 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम कमला पत्नी नाहरूराम अंकित है के स्थान पर कमा पत्नी मघाराम दुरूस्त फरमाया जावे। पैरोकार राज ने निवेदन किया कि इस प्रकरण में खाता बैंक के नाम रहन है। बैंक को निर्देशित करते हुवे रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है तो भूमि धारी को कोई आपती नहीं है। हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस के कथानो पर मनन किया, जिससे पाया गया कि प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाना न्यायहित में सही है। अतः नाम शुद्ध किये जाने के हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत आदेश दिये जाते है कि वाके रोही पांचू उत्तरी की संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 7938/45 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7940/45 रकबा 1.68 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7948/2619 रकबा 2.33 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 4.25 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम कमला पत्नी नाहरूराम अंकित है के स्थान पर कमा पत्नी मघाराम करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्ठिया यथावत रहेगी। आदेश की प्रति तहसीलदार नोखा को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। बसरे इजलाश सुनाया गया। 12.12.2019 (रमेश देव) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नोखा नोखा (बीकानेर)	

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2020.02.17 22:03:47 IST
Reason: SelfAttested